(कक्ष –संरक्षण)

विषयः–टी0पी0मुक्त प्रजातियों को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्
संदर्भः–म0प्र0 शासन वन विभाग का ज्ञाप कमांक क/ एफ–25–17/2008 /10–2 दिनांक 11/07/2013 एवं अ0प्र0मु0व0स0(अनु0 विस्तार एवं लोक वानिकी का यू0ओ0 टीप कमांक 162 दिनांक 22/7/2013

विषयांतर्गत दिनांक 4/06/2013 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही विवरण की कंडिका 2(ख)(iii) में लिये गये निर्णयानुसार टी0पी0मुक्त प्रजातियों को म0प्र0 शासन या वन विभाग की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश दिये गये हैं। तदानुसार निम्न जानकारी वन विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे :–

(क) म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 के नियम 4(2)(क) के अन्तर्गत निम्न प्रजातियों के काष्ठ/ईंधन के परिवहन के लिये अभिवहन पास इस प्रयोजन के लिये सम्यक रूप से गठित "पंचायत स्तर समिति" की सिफारिश के अनुसार पंचायत द्वारा जारी किया जावेगा :–

1.	बबूल	अकेशिया निलोटिका
2.	सिरिस	अल्बीजिया प्रजातियां
3.	नीम	अजाडिरेक्टा इंडिका
4.	बेर	जिजुफस प्रजातियां
5.	पलास	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा
6.	जामुन	साइजीजियम कुमिनीई
7.	रिमझा	अकेशिया ल्यूकोफलोइया
8.	बांस (बेम्बू) (खण्डवा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया और सीधी, जिलों के सिवाय)	

(ख) म.प्र. राजपत्र भोपाल दिनांक 16 मई 2005 में मध्य प्रदेश अभिवहन वनोपज नियम 2000 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा वनोपज की निम्न प्रजातियों को उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान की है –

1.	नीलगिरी	यूकेलिप्टस प्रजातियां
2.	कैजुरीना	कैसूरिना इक्वेजेटिफोलिया
3.	सुबबूल	ल्यूसेनिया प्रजातियां
4.	पापलर	पापुलस प्रजातियां
5.	इजरायली बबूल	एकेशिया टार्टिलिस
6.	विलायती बबूल	प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
7.	बबूल	अकेसिया निलोटिका
8.	नीम	अजाडरक्टा इंडिका
9.	आम	मेंजीफैरा इंडिका

पूर्व पृष्ठ से...

10. आयातित/शंकुधारी काष्ठ (चीड़, कैल, देवदार, और पाइन) की अन्य समस्त प्रजातियाँ जो मध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, चाहे वे किसी अन्य नाम से जानी जाती हों।

(ग) म.प्र. राजपत्र भोपाल दिनांक 21 दिसंबर 2006 में म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 में संशोधन कर नियम 4(2)(क) में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले अभिवहन पास हेतु बबूल–अकेशिया निलोटिका को भी जोड़ा गया है।

(घ) म.प्र. राजपत्र भोपाल दिनांक 11 अप्रैल 2007 द्वारा म.प्र. शासन की अधिसूचना क्र. एफ–30–8–2002–दस–3 दिनांक 16 मई 2005 में संशोधन कर प्रविष्टि (8) नीम (अजाडरक्टा इंडीका) तथा प्रविष्टि–9 आम (मैंजीफेरा इंडीका) को अभिवहन पास की छूट से बाहर किया गया है तथा कटंग बांस (बेम्बूसा अरूंडीनेशिया) की प्रविष्टि (11) में जोड़कर अभिवहन पास से मुक्त किया गया।

(त) म.प्र. राजपत्र भोपाल दिनांक 11 अप्रैल 2007 से म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 में संशोधन कर नियम 4(2) (क) में मद नौ (9) के पश्चात् दस में नीम (अजाडरक्टा इंडिका) एवं ग्यारह में आम (मैंजीफेरा इंडिका) को अन्तः स्थापित कर इसके अभिवहन पास हेतु ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया है।

(थ) म.प्र. शासन की अधिसूचना क्र. एफ 30–08–2002–दस–3 दिनांक 3 मई 2011 द्वारा म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 में संशोधन कर नियम 4 भाग (ख) खण्ड (2) उपखण्ड (क) के मद (नौ) की प्रविष्टि को लोप किया गया अर्थात् (नौ) की प्रविष्टि – आम (मैंजीफेरा इंडिका) को परिवहन अनुज्ञा पत्र से दी गई छूट समाप्त की गई।

कृपया की गई कार्यवाही से अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (अनु0विस्तार एवं लोक वानिकी) म0प्र0 एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक
(सूचना प्रौद्योगिकी)